22/11/2022

जयपुर शहर प्रथम

माननीय जयपुर। वकील साहब अनुपस्थित वकील साहब। वादी को बार-बार फोन कर व्यवहार न्यायालय समय पर व्यवहार न्यायालय समय समाप्त कर आवेदनकर्ता। आवश्यक वकील साहब वादी को फोन करने की आवश्यकता नहीं हुआ। अतः वकील साहब का वाद अग्रिम सुनवाई अग्रिम तिथि में बार के समक्ष रखी जावे। माननीय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण पारिवारिक प्रकार है। निवेदन अंतिम तिथि 24/12/22 को कृपा न्यायालय के समक्ष रखा।

Manisha

सहायक [illegible] शिक्षा

जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Choudhary
Date: 2023.01.05 15:24:54 IST
Reason: SelfAttested